

डिक्री बमुकदमें ईबादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 484/2019

इन्द्राज कुमार पुत्र पृथ्वीराज जाति मेघवाल निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़। वादी

बनाम्

1. पृथ्वीराज पुत्र जीवनराम  
2. विनोद } पि० पृथ्वीराज  
3. सुभाष } जाति मेघवाल निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला  
हनुमानगढ़।

4. कलावती पुत्री पृथ्वीराज पत्नी बंसीलाल जाति मेघवाल निवासी वार्ड नं० 02,  
ऐलनाबाद जिला सिरसा। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कर्तई रोबरु हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादीसं० 1 के नाम से चकनं० 19 जीजीआर के खाता सं० 58/56 में कुल 1.518 है० कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादीसं० 2 व 3 को ब०हि०ब० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं० 19 जीजीआर के खाता सं० 58/56 में से प्रतिवादीसं० 1 पृथ्वीराज का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा  
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....  
.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 17. 12. 19.....को जारी किया गया।



(मीनू वर्मा)  
सहायक कलक्टर  
सहायक कलावती एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी